संख्या 346 /सत्तर-2-2014-16(246)/2010

प्रेषक,

मुरली मनोहर लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 125 /रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 9-6-14

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 जून, 2014

विषयः सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः क्षे0का0ल0(शिविर कार्यालय)/ शि0नि0/1124/2014-15, दिनांक 3-6-2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-1864/सत्तर-2-2013-16(246)/2010, दिनांक 25 नवम्बर, 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में यदि संबंधित जनपद अथवा मण्डल में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्तर के प्राचार्य उपलब्ध न हों तो निकटस्थ जनपद में उपलब्ध राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जायेगा।

कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव।

संख्या-346(1)/सत्तर-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(2) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(3) महालेखा-1, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
(5) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
(6) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभगा-11/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
(8) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(9) अवर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।

GO 2014